

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

झाँसी

बीआईईटी-416 / अकाद-सू0 / 2017- 34।

दिनांक : 30 अगस्त, 2017

—: सूचना :—

मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सत्र 2017-18 एम०टेक प्रथम वर्ष में काउन्सिलिंग के उपरान्त रिक्त रह गयी सीट्स पर संस्थान स्तर से प्रवेश के सन्दर्भ में निम्न नीतिगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है :—

1. संस्था द्वारा इन सीट्स पर सर्वोच्च वरीयता उन अभ्यर्थियों को अनुमन्य की जायेगी जो यद्यपि GATE/GPAT उत्तीर्ण है परन्तु किन्हीं कारणों वश विश्वविद्यालय द्वारा आहूत प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सके।
2. द्वितीय वरीयता उन अभ्यर्थियों को अनुमन्य की जायेगी जो इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी परास्नातम प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो उत्तीर्ण हुए हैं परन्तु किन्हीं कारणों वश विश्वविद्यालय द्वारा आहूत प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके।

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक : 31/08/2017 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक मूल दस्तावेजों सहित व एक सेट छाया प्रति, नवीन पास पोर्ट साइज का 4 फोटों एवं फीस के साथ स्वंय संस्थान में उपस्थित होकर एम०टेक में प्रवेश ले सकते हैं।

(डीन एकेडेमिक)

प्रतिलिपि :—

1. निदेशक महोदय को सूचनार्थ।
2. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
3. प्रभारी बेवसाइड को कालेज की बेवाइड पर डालने हेतु
4. सम्बन्धित पत्रावली।

(डीन एकेडेमिक)



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पंत्राक:- ए०के०टी०य० / उप०कुस०का० / २०१७ / ४३४५-

दिनांक ३० अगस्त, २०१७

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एम०टेक०/एम०फार्म० एवं
एम०आर्क० पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त
शासकीय/शासन अनुदानित संस्थान।

विषय: मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के सन्दर्भ में एम०टेक०, एम०फार्म० एवं एम०आर्क० में प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप सभी जैसा भिजा हैं कि पाश्वर्नार्थ चेरिटेबल ट्रस्ट व अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व अन्य में उत्तर प्रदेश की निजी अभियन्त्रण संस्थाओं के एशोसिएशन द्वारा प्रस्तुत निवेदन पर प्रवेश की अन्तिम तिथि ३१ अगस्त, २०१७ तक शिथिल करने की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान कर दी गयी है। मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के क्रम में सत्र २०१७-१८ हेतु एम०टेक०, एम०फार्म० एवं एम०आर्क० में काउन्सिलिंग के उपरान्त रिक्त रह गयी सीट्स पर प्रवेश के सन्दर्भ में निम्न नीतिगत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है:-

१. संस्था द्वारा इन सीट्स पर सर्वोच्च वरीयता उन अभ्यार्थियों को अनुमन्य की जायगी जो यद्यपि GATE/GPAT उर्त्तीण है परन्तु किन्ही कारणोवश विश्वविद्यालय द्वारा आहूत प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकें।
२. द्वितीय वरीयता उन अभ्यार्थियों को अनुमन्य की जायगी जो इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी परासनातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो उर्त्तीण हुए हैं परन्तु किन्ही कारणों वश विश्वविद्यालय द्वारा आहूत प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकें।

मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय अनुदानित संस्थानों में रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु मा० कुलपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर स्पाट काउन्सिलिंग कर प्रवेश दिया जा सकता है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(ओम प्रकाश राय)
कुलसचिव